भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5345

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

मुंबई में मलिन बस्तियों का पुनर्विकास

5345. श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मुंबई सहित लगभग सभी बड़े शहरों में बड़ी संख्या में शहरी गरीब आबादी मलिन बस्तियों में रह रही है;

(ख) यदि हां, तो मलिन बस्तियों में, विशेषकर मुंबई के धारावी के निवासियों को उपलब्ध कराई जा रही ताजा पानी, स्वच्छता, बिजली और सड़क जैसी नागरिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पक्के मकान तैयार होने तक मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वैकल्पिक आवास का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): भारत की जनगणना में देश में दशकीय आधार पर स्लम सहित जनसंख्या की गणना की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, जिसके अनुसार मुंबई सहित देश भर में 1.39 करोड़ परिवारों के कुल 6.54 करोड़ लोग स्लम में रह रहे थे। देश में स्लम की संख्या के आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा एकत्र किए जाते हैं। 69वें दौर के सर्वेक्षण के दौरान 2012 में एनएसएसओ द्वारा एकत्र किए गए स्लम के पिछले आंकड़ों के अनुसार, मुंबई सहित देश में स्लम की अनुमानित संख्या 33,510 है, जिसमें 13,761 अधिसूचित स्लम और 19,749 गैर-अधिसूचित स्लम शामिल हैं।

(ख) से (घ) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। अतः अपने संबंधित शहरी क्षेत्रों में स्लम वासियों सहित अपने नागरिकों के लिए ताजा पानी, स्वच्छता, बिजली, सड़क, आवास आदि जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय विभिन्न मिशनों, जैसे प्रधान

मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0), स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मुंबई सहित देश भर में स्लमवासियों सहित पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से पीएमएवाई-यू का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पूरी की गई सभी परियोजनाओं/आवासों में आधारभूत नागरिक सूविधाएं जैसे जलापूर्ति, सीवरेज/सेपटेज, ड्रेनेज, विद्युतीकरण, आंतरिक सड़कें आदि होनी चाहिए। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा मुंबई सहित देश भर में कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 28.3.2025 तक 112.74 लाख आवासों का निर्माण शुरू हो चुका है और 92.02 लाख आवास तैयार किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं । शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में है। स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से मुंबई सहित देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू **2.0** 'सभी के लिए आवास' मिशन 10 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से शुरू किया है, ताकि चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से **1** करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके। पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें बीएलसी घटक के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची सहित स्थायी स्लम बस्तियों में पक्के आवास प्रदान करने के लिए परियोजना का प्रस्ताव कर सकती हैं। इसी प्रकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एएचपी घटक के अंतर्गत सरकारी/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) की/सार्वजनिक भूमि पर स्थित स्थायी स्लम के लिए पुनर्विकास या स्व-स्थाने सुधार परियोजनाओं का प्रस्ताव कर सकते हैं।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं की निगरानी का दायित्व कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संबंधित राज्य/संघ

राज्य क्षेत्रों की सरकारों का है। निर्माण अवधि के दौरान पात्र स्लम निवासियों के लिए वैकल्पिक आवास का उपयुक्त प्रबंध राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अपने संसाधनों द्वारा किया जाएगा ।

***